



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168667

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7826/2026

दिग्विजय

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : आनंद कुमार, नंदिनी, रेणु चौकल

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 106 वर्ष 2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 109, 333, 352, 351(3), 118(1) बी.एन.एस., थाना बहादुरगढ़, जनपद हापुड़ में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक लगभग 66 वर्ष की आयु का वृद्ध व्यक्ति है। आवेदक, उसके पुत्रों तथा तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध उस विवाद के कारण घायल व्यक्ति के साथ मारपीट करने का आरोप है, जो घटना से लगभग पाँच दिन पूर्व हुआ था। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को मारपीट की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। यद्यपि घायल को आठ चोटें आना बताया गया है, तथापि कोई भी चोट ऐसी नहीं है जिसे गंभीर प्रकृति की अथवा जीवन के लिए घातक माना जा सके। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4- विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया तथा प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है। आवेदक, उसके पुत्रों तथा कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने घायल के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की है। तथापि, विद्वान ए.जी.ए. ने इंगित किया कि घायल मनोज के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जो एक गंभीर चोट है। उन्होंने आगे इंगित किया कि भर्ती किए जाने के समय अत्यधिक रक्तस्राव के कारण घायल की सामान्य स्थिति खराब पाई गई थी और अंतःशिरा द्रव दिए जाने के पश्चात ही उसे सचेत एवं अभिमुख किया जा सका।

5- मैंने पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6- आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक वृद्ध व्यक्ति है। आवेदक सह-अभियुक्त प्रदीप एवं जयवीर का पिता भी है। न्यायालय की प्रथमदृष्टया राय में, आवेदक की वृद्धावस्था, प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित मारपीट के तरीके तथा चोटों की संख्या एवं प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आवेदक को अतिरंजित रूप से आरोपित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

7- प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

8- उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9- आवेदक-दिग्विजय की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर इस शर्त पर रिहा किया जाएगा कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानत प्रस्तुत करे तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

i- आवेदक जब भी अपेक्षित हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके;

iii- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे धमकाएगा नहीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10- उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

11- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

11 अगस्त, 2026

ए. पाण्डेय

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।